

## कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़

दिनांक- एफ ( ) सम्पर्दा / देव / हनु / 2017-18 /

दिनांक-

### खुली बोली सूचना

लवं साधारण वा सूचना किया जाता है कि इस विभाग के अधीनस्थ राजकीय अल्प निर्मर मन्दिरों की अपविलिप्त कृषि भूमियों को वर्ष 2017-18 के लिव खुली बोली से मुनाफा कास्त पर दिया जाता है। इच्छुक बोलीदाता नियत स्थान व समय पर बोली प्रारम्भ होने से पहले फोटोयूक्त परिचय पत्र व पेन कार्ड की फोटोप्रिति के साथ उपस्थित होकर, परोहर राशि रुपय 10,000/- जमा कर खुली बोली में भाग ले सकते हैं।

क्र सं०	नाम मन्दिर समय श्रेणी	कृषि भूमि का विवरण	भूमि जहां स्थित है	नियत बोली स्थान व बोली का समय
1	2	3	4	5
1	राजकीय आल्प निर्मर मन्दिर श्री मदकाली जी ४ एच.एम.एच हनुमानगढ़ टाउन कुल भूमि-17.335 हेक्टर	रुकड़एच.एमएच. 2.986 हेक्टर	प.न 156/261 मुन 13 कि.न.12125	मन्दिर श्री मदकाली जी ४एच.एम.एच हनुमानगढ़ दिनांक 03.05.2017 को प्रात 11.00 बजे से 2.00 बजे तक
		5.188 हेक्टर	प.न 156/262 मुन 14	
		6.200 हेक्टर	प.न. 16 मुन. 157/262	
		2.961 हेक्टर	प.न 156/262 मुन 17	
2	राजकीय आल्प निर्मर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामढी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ कुल भूमि-17.089 हेक्टर	0.771हेक्टर 6.282हेक्टर 6.325हेक्टर 3.731हेक्टर	घक नं.5जी.जी.एम प.न.400/451, 400/452 401/453 401/454	राजकीय आल्प निर्मर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामढी तहसील नोहर स्थित देवस्थान शार्मिश्वा में। दिनांक 04.05.17 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक

#### नियमों का शर्त-

- परोहर राशि जमा कराने के बाद ही खुली बोली में भाग ले सकते हैं।
- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी कमठी की अनुशासा पर बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
- कृषि भूमियों का विस्तृत विवरण व अन्य शर्तें दिनांकीय देवसाईट, [devasthan.rajasthan.gov.in](http://devasthan.rajasthan.gov.in) व [sppr.rajasthan.gov.in](http://sppr.rajasthan.gov.in) द कार्यालय में कार्यालय समय में तथा मौके पर देखी जा सकती हैं।

32

सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग,  
हनुमानगढ़  
दिनांक-

#### क्रमांक-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को प्रेषित कर नियोजन है कि नियत खुली बोली दिनांक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर भिजवाने का अम करावे।
- श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर नियोजन है कि नियत दिनांक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर भिजवाने का अम करावे।
- श्रीमान उपर्युक्त अधिकारी हनुमानगढ़/नोहर
- तहसीलदार (राजस्थ) हनुमानगढ़/नोहर को प्रचार-प्रसार हेतु।
- प्रबन्धक मन्दिर श्री गोगामढी गोगामढी
- सरपंच मदकाली ४ एच.एम.एच हनुमानगढ़ टाउन
- सरपंच गोगामढी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
- पुजारी मन्दिर श्री मदकाली जी ४ एच.एम.एच हनुमानगढ़ टाउन
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर धस्या हेतु।

33

सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग  
हनुमानगढ़

## कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़

राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री भद्रकाली जी ८ एच.एम.एच हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ की कृषि भूमि को मुनाफा काश्त हेतु वर्ष 2017-18 यानि १ अप्रैल 2017 से ३१ मार्च 2018 तक के लिए खुली बोली / नीलामी की सामान्य शर्तें— दिनांक —~~१०.०४.२०१७~~ ३-५-२०१७

1. खुली बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10,000/- अखरे दस हजार रुपये धरोहर राशि अपने फोटो एवं पहचान पत्र के साथ जमा करानी होगी ।
2. खुली बोली के अधिकतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी होगी । शेष 3/4 राशि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के अनुमोदन पश्चात कार्यालय द्वारा सूचना पत्र जारी होने के 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी ।
3. अन्तिम बोलीदाता द्वारा मौके पर 1/4 रकम जमा न कराने उसकी धरोहर राशि जब्त कर कमेटी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
4. कृषि भूमियों का विस्तृत विवरण सूचना कार्यालय/मौके पर देखी जा सकता है ।
5. उक्त मन्दिर की कृषि भूमि केवल काश्त के लिए दी जा रही है । इस पर कोई व्यावसायिक उपयोग—उपभोग नहीं किया जावेगा, ना ही किसी प्रकार का निर्माण किया जावेगा ।
6. कृषि भूमि पर मौजूद पेड़, पौधे व झाड़िया आदि नहीं काटी जायेगी । यदि काटे गये तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
7. खुली बोली की मौके की स्थिति अनुसार बोली का समय बढ़ाया जा सकता है व बोली की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है ।
8. खुली बोली के पश्चात बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त/आयुक्त/राज्य सरकार को होगा ।
9. खुली बोली के बाद जो व्यक्ति फसल बोवेगा वह जमीन सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा । जमीन सम्पदा में क्षति होने पर सम्बन्धित से वसूली की जावेगी ।
10. बोली की शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली रद्द करने का अधिकार देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ को होगा ।
11. मेला भद्रकाली जी वर्ष 2018 के प्रारम्भ होने से 10 दिन पूर्व कृषि भूमि का मेला प्रभावित क्षेत्र बोलीदाता को खाली करना होगा ।

अतः उपरोक्त वर्णित शर्ते पढ़कर, सुनकर व समझ ली है मैं इससे सहमत हूँ ।

५२  
सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग,  
हनुमानगढ़

## कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़

राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ की कृषि भूमि को मुनाफा काश्त हेतु वर्ष 2017-18 यानि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए खुली बोली / नीलामी की सामान्य शर्तें- दिनांक -~~२०१७~~ ५-५-२०१७

1. खुली बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10,000/- अखरे दस हजार रुपये धरोहर राशि अपने फोटो एवं पहचान पत्र के साथ जमा करानी होगी ।
2. खुली बोली के अधिकतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी होगी । शेष 3/4 राशि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के अनुमोदन पश्चात कार्यालय द्वारा सूचना पत्र जारी होने के 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी ।
3. अन्तिम बोलीदाता द्वारा मौके पर 1/4 रकम जमा न कराने उसकी धरोहर राशि जब्त कर कमेटी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
4. कृषि भूमियों का विस्तृत विवरण सूचना कार्यालय/मौके पर देखी जा सकता है ।
5. उक्त मन्दिर की कृषि भूमि केवल काश्त के लिए दी जा रही है । इस पर कोई व्यावसायिक उपयोग-उपभोग नहीं किया जावेगा, ना ही किसी प्रकार का निर्माण किया जावेगा ।
6. कृषि भूमि पर मौजूद पेड़, पौधे व झाड़िया आदि नहीं काटी जायेगी । यदि काटे गये तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
7. खुली बोली की मौके की स्थिति अनुसार बोली का समय बढ़ाया जा सकता है व बोली की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है ।
8. खुली बोली के पश्चात बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त/आयुक्त/राज्य सरकार को होगा ।
9. खुली बोली के बाद जो व्यक्ति फसल बोवेगा वह जमीन सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा । जमीन सम्पदा में क्षति होने पर सम्बन्धित से वसूली की जावेगी ।
10. बोली की शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली रद्द करने का अधिकार देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ को होगा ।
11. मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी का मास्टर प्लान के तहत जीर्णद्वार कार्य चल रहा है, यदि मास्टर प्लान में उक्त मंदिर की कृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है तो भूमि को पूर्ण रूप से खाली करनी होगी ।

अतः उपरोक्त वर्णित शर्त पढ़कर, सुनकर व समझ ली है मैं इससे सहमत हूँ ।

३२  
सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग,  
हनुमानगढ़